(9)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / पंग्राविवि / जविनियो. / 2017 / 1044 नया रायपुर, दिनांक 13 / 06 / 2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,
   जनपद पंचायत ,छत्तीसगढ़

विषय :— "जनपद पंचायत विकास निधि" के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका ।

—0—

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 50 के तहत जनपद पंचायतों को सौंपे गये कार्यों तथा राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कृत्यों का कियान्वयन जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है।

जनपद पंचायतों को उनके मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा कृत्यों के निर्वहन के लिये सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 से " जनपद पंचायत विकास निधि योजना" नामक नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है।

योजना के कियान्वयन हेतु "अनाबद्ध राशि" के रूप में एतद्वारा जनपद पंचायत को प्रतिवर्ष अनुदान प्रदाय किया जावेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यों को जनपद पंचायतों द्वारा और सक्षमता से पूर्ण किया जा सकेगा। इस प्रयोजन से वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 50.00 लाख प्रति जनपद पंचायत के मान से आबंटन पंचायत संचालनालय द्वारा पृथकशः जारी किया जावेगा।

उक्त योजना के कियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न है, जिसमें योजना के उद्देश्य, वित्त-व्यवस्था, किये जाने वाले कार्य,योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्य , योजना तैयार करने, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदि प्रक्रियाओं का उल्लेख है। योजना के अंतर्गत नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित करना होगा।

जनपद पंचायतों को प्रदाय की गई इस अनुदान राशि का लेखा पृथक से संधारित किया जाना है। योजनांतर्गत किये गये कार्यों एवं व्यय का लेखा परीक्षा/अंकेक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जावेगा। कार्यों का मूल्यांकन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व तकनीकी अधिकारी/सक्षम अधिकारी का होगा। कार्यों का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि संलग्न मार्गदर्शिका के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही तत्परतापूर्वक प्रारम्भ की जाय तथा पारदर्शिता के साथ योजना का सुचारू कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र/पंग्राविवि/ जविनियो./2017/145 नया रायपुर, दिनांक 01/06/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी, छ.ग.शासन की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, छ.ग.शासन, पंग्राविवि की ओर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, छ.ग.शासन की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त सह संचालक,पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, जनसंपर्क की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3— जनपद पंचायत विकास निधि का आबंटन :—

राज्य शासन अनाबद्ध निधि (Untied Fund) के रूप में प्रतिवर्ष राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक जनपद पंचायत को प्रदाय करेगी।

4— प्रस्तावित कार्य :—

जनपद पंचायत अपनी सीमा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्य को स्वीकृत कर सकेगी। स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो में पेयजल/जलसरक्षण तथा स्वच्छता संबंधी कार्यो को प्राथमिकता दी जावेगी।

5— योजना के प्रतिबंधित कार्य :—

- धार्मिक स्थलों/परिसर में निर्माण एवं सधारण कार्य।
- किसी व्यक्ति/संस्था या हितग्राही को लाभ संबंधी कार्य।

6— कार्य क्षेत्र :—

- यह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित की जायेगी।
- जनपद पंचायत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कार्यो की एक कार्ययोजना तैयार करेगी। इसका अनुमोदन जनपद पंचायत की सामान्य सभा से लिया जावेगा।

7— स्वीकृति की प्रकिया :—

कार्यो का चयन जनपद पंचायत की सभा की सामान्य बैठक में किया जावेगा। सामान्य सभा के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तकनीकी स्वीकृति के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगे।

8— प्रशाकीय स्वीकृति :—

- प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा योजना/कार्य का अनुमोदन सामान्य सभा से होने के उपरात जारी की जावेगी।
- निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या अन्य निर्माण विभागों के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत सीमा में ही जारी की जायेगी।
- निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि में ही किये जायें। इस योजना अंतर्गत भूमि अर्जन पर व्यय का प्रावधान नहीं होगा।

- योजना अंतर्गत राशि रूपये 20.00 लाख तक के नये निर्माण कार्य हेतु कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत होगी।
- संधारण/मरम्मत कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों की परिसंपत्ति पंजी में परिसंपत्तियों का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

9— **तकनीकी मार्गदर्शन :—**

- संबंधित पंचायतों द्वारा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व विधिवत् तकनीकी स्वीकृति सहित प्राक्कलन प्राप्त करने हेतु जनपद पंचायत द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक कार्य के लिये तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा संबंधित तकनीकी विभाग के द्वारा दिया जायेगा।

10— **भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र :—**

स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित जिला पंचायत द्वारा जिले के समस्त जनपद पंचायतों का संकलित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक आयुक्त सह संचालक, पंचायत, संचानालय छत्तीसगढ़ को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। जिला पंचायत स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र संधारित किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत संचालनालय एवं महालेखाकार को भेजा जायेगा।

11— **अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण/पर्यवेक्षण :—**

- संबंधित पंचायत स्तर पर इसके लिये लेखा पृथक रूप से संधारित किया जायेगा।
- कार्यों के लिये व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, छ.ग., संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं विभागीय अंकेक्षक द्वारा किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत सुसंगत जानकारी उपलब्ध करायेगी।
- अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी लेखाओं का परीक्षण किया जा सकेगा।

12– कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता :–

विधिवत् तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति होने के पश्चात 01 माह के भीतर कार्य प्रारंभ होना आवश्यक होगा तथा 10 माह के भीतर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी।

13– मूल्यांकन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :–

योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का प्रत्येक स्तर पर सहायक अभियंता/उप–अभियंता/सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन एवं सत्यापन किया जायेगा।

कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित पंचायतों द्वारा जारी किया जायेगा, जो जनपद पंचायत स्तर पर संधारित किया जायेगा। पर्यवेक्षण/अनुश्रवण का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत का होगा।

(एस.के.शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग